न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला मिएड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 708/2007 संस्थित दिनौँक-07/11/2007

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र--गोहद, जिला-भिण्ड (म०प्र०)


.....अमियोगी

विरुद्ध

- गंगाराम पुत्र गब्बर सिंह गोले उम्र 42 साल निवासी नाउपुरा,थाना नूराबाद जिला मुरैना म0प्र0
- मेवाराम पुत्र पुन्नीलाल जाटव उम्र 48साल निवासी डांग नरूआ थाना मौ,
- निर्णीत. 3. रामचन्द्र पुत्र सोबरन सिंह कुशवाह उम्रनिवासी— छीमका,थाना गोहद चौराहा,जिला मिण्ड म०प्र०
- निर्णीत. 4. कल्लू उर्फ ब्रजमोहन पुत्र महेश सिंह तोमर उम्र 28साल निवासी छीमका,थाना गोहद चौराहा, जिला मिण्ड म०प्र०
- निर्णीत. 5. प्रदीप पुत्र मुरारीलाल दुबे उम्र 20 साल निवासी डगर थाना बरासो,जिला भिण्ड म०प्र0
- मृत 6. अहिवरनसिंह पुत्र रघुवीर सिंह राजपूत निवासी कौंघ की मढैया,थाना रौन,जिला भिण्ड
- मृत 7. पप्पू पुत्र महेश पुत्र महेश सिंह तोमर निवासी छीमका थाना गोहद चोराहा,जिला भिण्ड म०प्र०अभियुक्तगण

_:: निर्णय ::-[आज दिनांक 29.04.2017. को घोषित]

अभियुक्त गंगाराम पर मारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 225/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07/09/2006 को जब उसे विशेष न्यायालय —डकैती भिण्ड के यहां से पेशी उपरांत गोहद लाया जा रहा था तो उसने अन्य आरोपीगण के साथ अभियुक्त पणू उर्फ गहेश को अभिरक्षा से छुड़ाने का सामान्य आश्य बनांकर उसके अग्रशरण में अभियुक्त पणू उर्फ गहेश को अभिरक्षा से छुड़ाया ।




निर्णीत.

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय हैकि अभियुक्तगण मेवाराम,रामचन्द्र,तथा कल्लू उर्फ ब्रजमोहन के संबंध में दिनांक 01/12/15 एवं अभियुक्त प्रदीप के संबंध में दिनांक 23.07.2016 को निर्णय घोषित किया जा चुका है। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त गंगाराम के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

the second of the second of the second of the second

- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 07/09/07 को थाना मेहगांव के नगर निरीक्षक इन्द्रजीत सिंह को वायरलेस पर सूचना मिली कि मिण्ड न्यायालय से पेशी के बाद अभियुक्त पंपू उर्फ महेश तोमर को पुलिस अभिरक्षा में मिण्ड से गोहद जेल ले जाया जा रहा था जो रास्ते में ग्राम गिगरखी के पास पुलिस अभिरक्षा से माग निकला है तब उक्त सूचना से ग्राम गिगरखी के पास पुलिस मय स्टाफ के पहुची और तलाश की किन्तु उसका कुछ पता नहीं चला । अनुसंघान में आरक्षक अहिवरन सिंह क.995 एवं आरक्षक मेवाराम क.404 के कथन लिये गये जिनमें उनके द्वारा डम्फर से गोहद जेल ले जाते समय गिगरखी गांव केपास चार अज्ञात लोगों द्वारा डम्फर रूकवाकर अभियुक्त पृप्पू को अभिरक्षा से छीनकर भगा ले जाने का कथन किया गया। इसके बाद हरेन्द्र,प्र0आर0 रमाकांत शुक्ला, थाना गोहंद चौराहा के थाना प्रमारी अशोक पवार, गंगाराम गोले, के कथन लिये जाने पर ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक को मिण्ड न्यायालय में उसकी पेशी कराई गई ओर शाम साढे 5:00बजे अदालत के बाहर लाये। वहां पर गेट के सामने बुलेरो एम.पी.30.बी.एफ.0115 के चालक हरेन्द्र गाडी खडी करें मिला था । उक्त गाडी में गंगाराम गोले,कल्लू तोमर व प्रदीप शर्मा व तीन अन्य लोगे बैठे थे उसी बुलेरों में आरक्षक अहिवरन चालक के बगल में तथा आरक्षक मेवाराम, पप्पू उर्फ महेश , गंगाराम तथा कल्लू तोमर के साथ पीछे की सीट पर,तथा प्रदीप शर्मा तथा तीन अज्ञात व्यक्ति सबसे पीछे की सीट पर बैठकर मिण्ड से गोहद जेल के लिये खाना हुये थे। गिगरखी गांव के पास पप्पू तोमर ने चालक को धमकी देकर बुलेरो को धमसा गांव की ओर ले गया। धमसा गांव के आंगे ले गये और गाडी रूकवाकर पण्यू,प्रदीप शर्मा, कल्लू तोमर एवं गंगाराम गोली ने पण्यू की हथकड़ी सिपाहियों से खुलवाई और वे लोग गाड़ी तथा चालक हरेन्द्र को छोड़कर भाग गये। हरेन्द्र अपनी बुलेरो लेकर गोहद चोराहा पहुचा और पूरी घटना मालिक तिलक सिंह को बताई। उक्त से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध की प्राथमिकी 154/07 पर पंजीबद्ध कर कथन लेखबद्ध किये गये। बाद अनुसवान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया। the should receive position on
- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन निर्दोष होने तथा झूठा फ़साये जाने का कथन किया है।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –



1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 07/09/2009 को जब उसे विशेष न्यायालय —डकैती भिण्ड के यहां से पेशी उपरांत गोहद लाया जा रहा था तो उसने अन्य आरोपीगण के साथ अभियुक्त पण्यू उर्फ महेश को अभिरक्षा से छुंडाने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रशरण में अभियुक्त पण्यू उर्फ महेश को अभिरक्षा से छुंडाया ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 6. अमियोजन की ओर से प्रकरण में पारथ सिंह अ०सा० 1, इन्द्रजीत सिंह अ०सा० 2, हरेन्द्र अ०सा० 3, रमाकांत अ०सा० 4, आशीष पंचार अ०सा० 5, आर०बी०एस०यादव अ०सा० 6, मुन्नीलाल मौर्य अ०सा० 7, को परीक्षित कराया गया है ।
- प्रकरण में प्राथमिकीकर्ता इन्द्रजीतसिंह अ०सा० २ ने जो अपने अमिसाक्ष्य में कथन करते हैं, कि उन्हें दिनांक 07.09.07 को वायरलैस पर सूचना मिली कि मिण्ड न्यायालय से पेशी के बाद अमियुक्त पप्पू उर्फ महेश को पुलिस गोहद जेल ले जा रही थी तमी गिंगरखी गांव के पास पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। उसके द्वारा अभियुक्त पप्पू, कल्लू, गंगाराम, आरक्षक 404 अहवरन एवं आरक्षक 995 मेवाराम व तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराघ पंजीबद्ध किया था। इंद्रजीत सिंह आं०सां० 2 घटना के साक्षी नहीं है बल्कि उनके द्वारा अभिकथित सूचना वायरलैस सैट पर प्राप्त होना बतायी गयी है। कंडिका 2 में यह साक्षी कथन करते है कि उक्त वायरलैस मेसेज उन्होने अपने कानों से नहीं सुना था। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि वायरलैस ऑपरेटर ने उन्हें कोई लिखित मैसेज की सूचना के संबंध में नहीं दिया गया। साक्षी यह कथन करता है कि उन्हें सूचना 07.09.2007 को रात्रि 9 बज कर 15 मिनट पर प्राप्त हुई थी किन्तु उन्होंने उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट रात 2:55 बर्जे लेख की थी। साक्षी जो कि सूचना मिलने पर प्रथम दृष्टया जांच करना बताते है वे प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में यह बताने में असमर्थ है कि उन्होंने किन-किन लोगों के कथन लिये थे। साक्षी यह कथन करते है कि कथित जांच संबंधित कोई जस्तावेज अभियुक्त पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में इस साक्षी की अमिसाक्ष्य सर्वप्रथम तो चक्षुदर्शी साक्ष्य की श्रेणी में नही आती है द्वितीयतः इस साक्षी के द्वारा अमिकथित जांच उपरांत अपराध पंजीवद्ध करना बताया है जबकि कथित जांच संबधी कोई दस्तावेज स्वयं अभियोग पत्र में संलग्न न होना स्वीकार किया। ऐसे में इस साक्षी की साक्ष्य का पुष्टि के अमाव में दोष सिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है।
- 8. प्रकरण में अन्य साक्षी पारथसिंह गुर्जर अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि वे अभियुक्त मेवाराम और अहवरन को जानते हैं। घटना उनके साक्ष्य दिनांक 27.04.2012 के 4–5 वर्ष पूर्व रात्रि के 8 बजे की होना बताते हैं और यह कथन करते हैं कि उक्त दोनों अभियुक्तगण उसके मकान पर आए और वे चड्डी बनियान पहने हुए थे, दोनों ही आरोपी घबराए हुए थे। उसने थाने पर फोन किया तो पुलिस कोतवाली उसके गांव पालिया पहुंच गए थे और आरोपीगण को बैठाकर ले गए थे। इसके

श्री कि श्रिता शायिक मजिस्टेट प्रथम श्रीप रोक्ट जिला किएड प्राण अलावा और कोई जानकारी न होना बताता है। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश कैदी को ग्राम गिंगरखी के पास बुलैरों में बैठे 4–5 लोगों द्वारा डम्फर रूकवाकर कट्टा दिखाकर बिठाकर पालिया गांव के पास उतार देने की बात बताए जाने से इंकार किया है।

- 9. प्रकरण में अभियोजन मामले के अनुसार अन्य साक्षियों की साक्ष्य में अभियुक्त गंगाराम के संबंध में सर्वोत्तम साक्षी हरेन्द्र अ०सा० 3 था जिसके कथन के अनुसार अभियुक्त गंगाराम उसकी बुलैरो कार को किराये से लेकर उसमें निमंत्रण खने की बात कहकर बैठकर गया था और मिण्ड न्यायालय से पेशी उपरांत अभियुक्त पणू उर्फ महेश को मय आख्क्षक अहवरन एवं मेवाराम तथा अन्य लोगों के साथ बिठा लिया था और गिंगरखी के पास कट्टा पणू उर्फ महेश को देकर पुलिस वालों को कट्टा अडाकर अभियुक्त पणू उर्फ महेश के फरार होने में सहायता प्रदान की थी। उक्त साक्षी हरेन्द्र अ०सा० 3 द्वारा उपरोक्त तथ्यों को पुलिस को लिखाए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है और सूचक प्रश्नों में भी ऐसे कथन की ओर ध्यान दिलाए जाने पर भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 145 के अधीन इंकार किया है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता आर०बी०एस० यादव या अन्य के द्वारा अभियुक्त गंगाराम की शिनाख्त कार्यवाही अभियोजन के किसी भी साक्षी से कराई गयी हो यह तथ्य भी अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित अपराध में उसके लिप्त होने के संबंध में कोई भी सारवान साक्ष्य अमिलेख पर नहीं हैं।
- 10. प्रकरण अन्य साक्षी आशीष पवार आ०सा० 5 है जो अपने अमिसाक्ष्य में यह कथन करते है कि दिनांक 07.09.2007 को वे थाना गोहद चौराह में थाना प्रमारी के पद पर पदस्थ थे। उन्हें उक्त दिनांक शाम को 7:45 बजे तत्कालीन उपाध्यक्ष मंण्डी गोहद तिलकसिंह गुर्जर ने थाने पर उपस्थित होकर बताया था कि सुबह 11—12 बजे गोहद चौराह का गंगाराम एंव छीमका का कल्लू तोमर, कल्लू की रिश्तेदारी में गमी (मृत्यु) होने का बहाना बनाकर उसकी बोलेरो कृ० एम०पी० 30 वी०सी० 0115 मांगने आये थे तो अपने चालक हरेन्द्र के साथ मेज दी थी। शाम करीब 7:30 बजे गंगाराम और हरेन्द्र उसकी गाडी लेकर लोटे, तो उन्होने बताया कि कल्लू गाडी लेकर मिण्ड न्यायालय गया था जहां पेशी पर आये हत्या के आरोपी उसके पिता पप्पू उर्फ महेश तोमर तथा दो पुलिस बाले गाडी में बैठे ओर गिंगरखी तक बापस आये। रास्ते में पप्पू और कल्लू बगैरा द्वारा कट्टा दिखाकर गाडी धमसा तरफ ले गये पलिया गांव के पास पप्पू कल्लू व उसके साक्षी दोनो पुलिस वाले गाडी से उतर गये तथा खेतों में चले गये, उनमें से एक लडके ने हरेन्द्र से कहा कि तुम चुपचाप घर चले जाओ। इस प्रकार से साक्षी आशीष पवार आ०सा० 5 अमिकथित जानकारी उससे तिलक सिंह से दिनांक 07. 09.2007 को शाम करीब 7:45 बजे मिलना बतायी गयी है किन्तु प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में यह बताता है कि उन्होने सूचना मिलने पर कोई अपराघ पंजीवद्ध नहीं किया। यह भी स्वीकार करते है कि कोई

आ प्र. कं 708/2007

अपराध की सूचना मिलती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। साक्षी इसका स्पष्टीकरण देत्ता है कि अस्पष्ट सूचना होने पर जांच उपरांत स्पष्ट होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती किन्तु साक्षी यह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा कोई जांच नहीं की गयी। साक्षी उक्त सूचना के आधार पर कोई रोजनामचा सान्हा दर्ज किया या नहीं इसके संबंध में जानकारी का अमाव व्यक्त करते हैं।

11. प्रकरण में आशीष पवार आ०सा० 5 अिमायोजन के साक्षी है जिन्हे अिमयुक्त गंगाराम के संबंध में किये गये कथन को पक्ष द्रोही भी घोषित नहीं किया गया है ऐसे में इस साक्षी का अिमसाक्ष्य अिमयोजन पर बाध्यकारी प्रमाव रखता है। प्रकरण में आशीष पवार आ०सा० 5 के द्वारा बताये गये तथ्य तिलक सिंह से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताये गये है जबिक अनुसंधान कर्ता आर०बी०एस 0 यादव आ०सा० 6 अपने परीक्षण में साक्षी पारस सिंह, रमाकांत शुक्ला प्र0 आ०, आशीष पवार थाना प्रमारी गोहद तथा हरेन्द्र सिंह गुर्जर के कथन लेखबद्ध करना बताते है। साक्षी द्वारा कथित तिलक सिंह जिससे अिमयुक्त गंगाराम एवं कल्लू के द्वारा अिमकथित वाहन बोलेरों ले जाना बतायी गयी है उसका कोई भी कथन न कराया जाना अभियोजन के मामले को दुर्बल करता है। साक्षी मुन्नीलाल आ०सा० 7, रमाकांत शुक्ला आ०सा० 4 के कथनों में अभियुक्त गंगाराम के सबंध में काई कथन नहीं किया गया है। ऐसे में जहां अभियोजन का मामला अभियुक्त गंगाराम के द्वारा बंदी पण्णू उर्फ महेश को छुडाये जाने में अथवा निकल मागने में सहयोग करने का है वहीं उसके विपरीत यदि अभियुक्त द्वारा उक्त बंदी को मागने में सहयोग किया गया होता तो स्वयं आशीष पवार आ०सा० 5 कथन अनुसार वह वाहन चालक हरेन्द्र के साथ वापस न आता। ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 07.09.07 को अन्य सह अभियुक्तगण के साथ अभियुक्त पण्णू उर्फ महेश को अभिरक्षा से छुडाने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रशरण में अभियुक्त पण्णू उर्फ महेश को अभिरक्षा से छुडा लिया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 225/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

२० प्राप्ता ३ क्ट श्रुप्ता गायिक मजिस्ट्र प्रथम श्रेमी सेन्द्र जिला सिण्ड फाण्य

- 13. अभियुक्त की प्रतिभूति उन्मुक्त की जाती है। अभियुक्त का बंधपत्र उसके निवेदन पर द0प्र0प्त0 की धारा 437 ए के अधीन निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 14. जब्तशुदा संपत्ति वाहन बोलेरो कृ० एम०पी० ३० वी०सी० ०११५ सुर्पदगीदार के सुर्पदगी में है । अतः सुर्पदगीनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जाये। अन्य जप्तसुदा संपत्ति हथकडी पुलिस विमाग की संपत्ति होने से अपील अवधि पश्चात विधिवित निराकरण हेतु पुलिस अधीक्षक मिण्ड को मेजी जाये। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
- 15. अभियुक्त की निरोधावधि, यदि हो तो, धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।
 निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
 मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला मिण्ड मध्यप्रदेश

गोयक माजान प्राथम संस्था क्रोकर जिला विवास माणक न्यायिक मजिस्देट प्रथम श्रेणी गोहद जिला मिण्ड मध्यादेश